रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122023-250859
CG-DL-E-23122023-250859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945
No. 314] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**अंतिम जांच अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

**मामला सं. एसएसआर (एनसी/01/2023)**

**विषय : यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सिंगापुर से उत्पादक/ निर्यातक का नाम परिवर्तन करने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा जांच।**

**फा. सं. 7/09/2023-डीजीटीआर.—**समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर शुल्क अथवा, अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

1. जबकि उपरोक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) ने दिनांक 5 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 7/26/2018-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे, जिसमें यूरोपीय संघ, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य

अमेरिका (इसके बाद "संबद्ध देशों" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोन" के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई।

2. और जबकि केंद्र सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

3. मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. (इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लि. का अधिग्रहण किए जाने के बाद उपरोक्त सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में उत्पादक का नाम मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. से बदलकर इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. रखने के लिए दिनांक 30 जून, 2023 को एक आवेदन दायर किया है।

4. और, इसके बाद, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 18 सितंबर, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग I ,खंड I में प्रकाशित हुई थी, जिसके तहत यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सिंगापुर से उत्पादक/ निर्यातक के नाम में परिवर्तन करने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई। यह समीक्षा दिनांक 5 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 7/26/2018-डीडीएडी के अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 25 मार्च, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में कहा गया है) द्वारा दावा किए गए अनुसार केवल नाम परिवर्तन करने के पहलु तक ही सीमित है।

**ख. प्रक्रिया**

5. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

i. प्राधिकारी ने दिनांक 18 सितंबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें यूरोपीय संघ सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सिंगापुर से उत्पादक/ निर्यातक के नाम में परिवर्तन करने तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत की गई।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों और भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात घरेलू उत्पादकों (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को दिनांक 18 सिंतबर, 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

iii. वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की कोई भी अवधि निर्धारित नहीं थी, क्योंकि जांच का दायरा केवल आवेदक के नाम में परिवर्तन करने तक ही सीमित था।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदक के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन की एक प्रति आवश्यकतानुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान की गई थी।

v. प्राधिकारी ने प्रदान की गई सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के लिए बदली हुई परिस्थिति के संबंध में निर्यातक द्वारा दी गई जानकारी की जांच की है।

vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 10 नंवबर, 2023 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। सार्वजनिक सुनवाई में अपने मौखिक रुप से विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोधों के रूप में दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर दायर करें। वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक समझी गई

सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और उन पर प्रत्युत्तरों में किए गए तर्कों पर प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

vii. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 'गोपनीय आधार' पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया था।

viii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच में काफी बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर मामले की जांच की है।

## ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. सिंगापुर से आवेदक, मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. कंपनी द्वारा यह कहा गया है कि इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड ने मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. में 100 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया है। यह दिनांक 26 अगस्त, 2022 को इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड और मित्सुई केमिक्लस, इंक. के बीच किए गए शेयर खरीद करार के अनुसार था।

ii. आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि कंपनी के स्वामी को बदल दिया गया है लेकिन इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. की उत्पादन क्षमता, उत्पादन उपकरण, आपूर्तिकर्ता संबंध, ग्राहक आधार, बिक्री चैनलों और कंपनी के एसीटोन के कारोबार से संबंधित व्यवसाय संचालन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल प्रबंधन कर्मियों में मामूली बदलाव हुआ है।

iii. आवेदक ने दावा किया है कि वित्त, खरीद, मानव संसाधन और आईटी जैसे कंपनी को कार्यात्मक समर्थन कार्यों को अब इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. के इनहाउस कर्मचारियों द्वारा मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. में संभाला जाता है, इन समर्थन कार्यों को एक साझा सेवा भागीदारी संस्था, अर्थात मित्सुई केमिकल एशिया प्रशांत द्वारा नियंत्रित किया गया था।

iv. आवेदक ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य या निर्यात मूल्य निर्धारण के लिए प्रासंगिक किसी भी मापदंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

v. इसके अलावा, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इनियोस ग्रुप के भीतर कुछ संस्थाएं, नामतः यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य से संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करती है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भारत को संबद्ध वस्तुएं निर्यात की गई हो सकती हैं। तथापि, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि शुल्कों की प्रवंचना का कोई जोखिम नहीं है।

vi. आवेदक ने अनुरोध किया है कि इनियोस ग्रुप में संस्थाएं पृथक प्रबंधन संरचनाओं का रखरखाव करती हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यवसाय प्रचालनों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। उनकी स्वतंत्रता न केवल उनके कानूनी दर्जे में दिखाई देती है, बल्कि अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी दिखाई देती है, जहां प्रत्येक संस्था ग्रुप के भीतर दूसरों के हस्तक्षेप के बिना अपने रणनीतिक लक्ष्यों और वाणिज्यिक हितों का पालन करती है।

vii. आवेदक ने अनुरोध किया है कि ट्रांसशिपमेंट का कोई जोखिम नहीं है। यहां तक कि सिंगापुर के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट पर विचार करने वाले इनियोस ग्रुप के काल्पनिक परिदृश्य में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विकल्प व्यावसायिक रूप से संभव नहीं होगा, और इसे किसी भी निर्माता के लिए एक मजबूत कारोबारी निर्णय नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य से उत्पादक पहले ही सिंगापुर के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के ट्रांस-शिपमेंट से शुल्कों की प्रवंचना (और 120-150 यूएसडी/ मी.टन शुल्क बचत) कर सकते थे, क्योंकि सिंगापुर के लिए अवशिष्ट पाटनरोधी शुल्क यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क से काफी कम हैं। तथापि, इनियोस द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है।

viii. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि इस तरह से भारतीय उत्पादकों द्वारा किसी भी कथित प्रवंचना का कोई रिकार्ड नहीं है, जो यह भी पुष्टि करता हो कि इस प्रकार की कोई प्रवंचना नहीं हुई है।

## घ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

## ड. प्रकटन पश्चात अनुरोध

### घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

8. प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया।

### इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके नाम की वर्तनी अनजाने में इनियोस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई के रूप में दर्ज की गई है। इनियोस फिनोल सिंगापुर पीटीई के बजाय लिमिटेड। लिमिटेड और प्राधिकरण से अंतिम निष्कर्षों में आवेदक का सही नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

10. आवेदक ने इस समझौते में आवश्यक तथ्यों के प्राधिकरण के रिकॉर्ड के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है।

## च. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गिए अनुरोधों पर इस प्रकार कार्रवाई की गई हैं:

i. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक के नाम में परिवर्तन इनियोस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसने मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लि. में 100 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था। यह इनियोस होल्डिंग्स लिमि. और मित्सुई केमिकल्स इंक के बीच दर्ज किए गए एक शेयर खरीद समझौते के तहत था। यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में परिलक्षित हुआ है, जिसमें अधिग्रहण को अधिकृत करने और उसके ब्यौरे प्रदान करने के संबंध में मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. के बोर्ड के निदेशक का संकल्प, कंपनी की अद्यतन कारोबारी प्रोफाइल, जो अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा प्रदान की गई, जिसमें नाम में परिवर्तन का उल्लेख किया गया था और इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. के निगमन का प्रमाणपत्र शामिल है।

ii. द्वितीय. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद के अनुरोधों की जांच की है और आवेदक द्वारा इनियोस फिनोल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के नाम की वर्तनी में अनुरोध किए गए सुधार पर ध्यान दिया है।

## छ. प्रस्तावित सिफारिशें

12. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, जिसमें आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध शामिल हैं, प्राधिकारी ने यह पाया है कि उत्पादक/ निर्यातक मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. का नाम बदलकर इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. किया गया है।

13. तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 5 मार्च, 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/26/2018-डीजीएडी के पैरा 94 में शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है :

क. कॉलम 5 में क्र. सं. 1 पर उत्पादक 'मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि.' का नाम संशोधित रूप से मैसर्स इनियोस फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. पढ़ा जाए।

14. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि दिनांक 25.03.2019 की अधिसूचना सं. 14/2019- सीमा शुल्क (एडीडी) में आवश्यक संशोधन भी किए जाए।

15. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों/ टिप्पणियों की जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणामों का प्रस्ताव करते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**FINAL FINDINGS NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2023

**Case No. SSR (NC/01/2023)**

**Subject Midterm review investigation limited to change of name of producer/exporter from Singapore regarding anti-dumping duty imposed on imports of Acetone originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa' and United States of America.**

**F. No. 7/09/2023-DGTR.—**Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules):

## A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas having regard to the Act and Rules supra, the Designated Authority, (hereinafter referred to as "the Authority") had issued its final findings vide Notification No. No. 7/26/2018-DGAD dated 5th March 2019 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of "Acetone" originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas the Central Government, vide Customs Notification No. 14/2019-Cus (ADD), dated 25th March 2019, had imposed definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

3. M/s INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd. (herein after referred to as applicant) has filed an application on 30th June 2023 for change of name of the producer in the aforementioned Customs Notifications from Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. to INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd. following the acquisition of Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. by INEOS Holdings Limited.

4. And, whereupon in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority issued a public notice dated 18th September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I Section I, initiating the m**id-term review limited to change of name of producer/exporter from Singapore regarding anti-dumping duty imposed on imports of acetone originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa' and United States of America.** The review is only limited to the aspect of the name change as claimed by M**/s** INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd. (herein after referred to as "applicant") with regard to the final findings of notification no. 7/26/2018-DGAD dated 5th March 2019 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification 14/2019-Cus (ADD), dated 25th March 2019.

## B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regards to the investigation:

   i. The Authority, issued a public notice dated 18th September 2023 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the m**id-term review limited to change of name of producer/exporter from Singapore regarding anti-dumping duty imposed on imports of acetone originating in or exported from the European Union, Singapore, South Africa and United States of America**.

   ii. The Authority forwarded a copy of initiation notification dated 18th September 2023 to the embassy of the subject counties and known domestic producers of subject goods in India (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the anti-dumping Rules.

   iii. There was no period of investigation set for the purpose of the present investigation as the scope of the investigation was restricted to change of name of the applicant only.

   iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.

   v. The Authority has examined the information furnished by the exporter with regard to the changed circumstance for accuracy and adequacy of the information so provided.

vi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 10th November 2023. The parties that presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions thereon received from the interested parties to the extent considered relevant for the present investigation have been considered in the final findings.

vii. Information provided by interested parties on 'confidential basis' was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

viii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 21st December 2023 and comments received thereon, considered relevant by the Authority. have been addressed in these final findings.

**C. <u>SUBMISSIONS MADE BY INTERESTED PARTIES</u>**

6. The following submissions have been made by M/s INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd., the applicant from Singapore:

i. It has been stated by the company that INEOS Holdings Limited has acquired 100 percent of the shares in Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. This was pursuant to a share purchase agreement entered into between INEOS Holdings Limited and Mitsui Chemicals, Inc., dated 26th August 2022.

ii. It has been claimed by the applicant that, the owner of the company has been changed but there have been no changes in the production capacity, production equipment, supplier relationships, customer base, sales channels, and business operations related to acetone business of the company except minor changes in the management personnel.

iii. The applicant has claimed that the functional support functions of the company such as finance, procurement, HR and IT, are now handled by the inhouse staff of INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd., in Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd., these support functions were handled by a shared service partner entity namely Mitsui Chemical Asia Pacific.

iv. The applicant has claimed that there are no changes to any parameters that are relevant to normal value or export price determination.

v. In addition, the applicant has submitted that certain entities within the INEOS Group manufacture the subject goods in the subject countries, namely, from the European Union and Unites States which may have exported the subject goods to India independently. However, the applicant has submitted that there is no risk of circumvention of duties.

vi. The applicant submitted that the entities within the INEOS Group maintain separate management structures, ensuring autonomy in decision-making processes and business operations. Their independence is reflected not only in their legal status but also in their day-to-day activities, where each entity pursues its own strategic goals and commercial interests without interference from others within the group.

vii. The applicant submitted that there is no risk of transhipment. Even in the hypothetical scenario of INEOS Group considering transshipment through Singapore, it is important to note that this option would not be commercially feasible and would not be considered a sound business decision for any producer. Further, the producers from the EU and the US could already have circumvented the duties (and saved 120-150 USD/MT of duties) merely by trans-shipment of the PUC through Singapore since the residual anti-dumping duty for Singapore is significantly lower than the anti-dumping duty applicable for the EU and the US. However, no such practices have been adopted by the INEOS.

viii. The applicant further submitted that there is no record of any circumvention alleged by the Indian producers in this manner, which further confirms that there has been no circumvention thus far.

**D. <u>SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY</u>**

7. **<u>There were no submissions made by the domestic industry.</u>**

**E. <u>POST DISCLOSURE COMMENTS</u>**

**<u>Submissions by the domestic industry</u>**

8. There were no submissions made by the domestic industry post the issuance of the disclosure statement.

**<u>Submissions by the interested Parties</u>**

9. The applicant has submitted that the spelling of its name has been inadvertently recorded as INEOS Phenols Singapore Pte. Ltd. instead of INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd. and has requested the Authority to record the correct name of the applicant in the final findings.

10. The applicant has expressed its agreement with the Authority's record of the essential facts in this agreement.

**F. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

11. The submissions made by the interested parties are addressed herein below:

i. The Authority notes the change of name of the applicant was done as a result of an acquisition by INEOS Holdings Limited which acquired 100 percent of the shares in Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. This was under a share purchase agreement entered into between INEOS Holdings Limited and Mitsui Chemicals Inc. This has been reflected in various documents submitted by the applicant including, the director's resolution of the Board of Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd., authorizing the acquisition and providing further details thereof, the updated business profile of the company as provided by the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore, reflecting the change in name and the certificate of incorporation of INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd.

ii. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and has taken note of the correction requested by the applicant in the spelling of its name as INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd.

**G. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS**

12. Having considered all aspects of the case, including submissions made by the applicant and other interested parties, the Authority holds that the name of the producer/ exporter Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. has been changed to INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd.

13. Accordingly, the Authority recommends the following change in the duty table in the paragraph 94 of the final findings No. 7/26/2018-DGAD dated 5th March 2019, as under:

a. Against serial no. 1 in Col.5, the name of the producer 'M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.' may be amended to read as 'M/s INEOS Phenol Singapore Pte. Ltd.'.

14. Accordingly, the Authority recommends that necessary amendment may also be carried out in notification no.14/2019-Customs (ADD) dated 25th March 2019.

15. An appeal arising out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.23 16:41:57 +05'30'